न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

अपील संख्याः– 141/36/2018

विजेन्द्र सिंह पुत्र ओगडसिंह जाति राजपूत निवासी भोजपुर कलां तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.01.2017 न्यायालय तहसीलदार कि0रेनवाल उनवानी सरकार बनाम विजेन्द्र सिंह मु0नं0 5/2017

निर्णय दिनांकः– 27/08/2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार कि0रेनवाल ने एक पअवारी हल्का कि0रेनवाल की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया कि खसरा नंबर 470 सरकारी भूमि रास्ते पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जो नोटिस अपीलार्थी की तामिल हेतु जारी किये गये जिसकी तामील अपीलार्थी को सम्यक रूप से किसी भी प्रकार से नहीं हुई और उक्त नोटिस पर तामिल कुलिंदा ने नोट अंकित किया कि आसामी घर पर नहीं मिलने पर उसके घर पर एक प्रति चस्पा की गई जिस पर दो व्यक्ति रामसिंह व रामदेव के हस्ताक्षर करवाये हुये हैं। जिसे तहसीलदार ने तामिल मानते हुये दिनांक 25.01.2017 को अपना निर्णय पारित किया। जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दिनांक 27.04.2017 को तहसीलदार कि0रेनवाल मय पटवारी मौके पर आये और प्रार्थी को फसल चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की धमकी दी।

अपीलार्थी स्कूल संचालक है जिसने ग्राम भोजपुर कलां में खसरा नंबर 471 के खातेदार द्वारा निर्मित भवन में स्कूल का संचालन कर रहा है और उक्त भवन अपीलार्थी ने किराये पर ले रखा है। जिसका खसरा नंबर 470 की भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है ना ही उक्त स्कूल खसरा नंबर 470 की भूमि जो कि रास्ते की बताई गई उस पर संचालित नहीं की जा रही है। पटवारी रिपोर्ट गलत है क्योंकि अपीलार्थी एक किरायेदार है जो कि खसरा नंबर 471 में बने भवन में ही अपनी स्कूल चला रहा है। जिसका फसल से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उक्त अपीलार्थी कोई काश्त करता है और ना ही उसने रास्ते की भूमि में कोई काश्त बोई है। पटवारी हल्का ने भोजपुरा कलां में जो खसरा नंबर 470 गै0मु0 रास्ते की भूमि में 6 बिस्वा पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताते हुए रिपोर्ट पेश की है उसके संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थी के पास भिजवाये गये नोटिस पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं उनका पूर्ण नाम पता अंकित नहीं है तथा इनके पिता कौन है और इनकी जाति क्या है इत्यादि अंकित नहीं है। तहसीलदार कि.रेनवाल ने बिना मौका देखे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। साथ ही पटवारी रिपोर्ट पर जांच करते समय मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा आज भी खसरा नंबर 471 में ही स्कूल का संचालन किया हुआ है।

उक्त निर्णय पारित किये जाने के बाद कतई गलत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 पटवारी

अन्त में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरसत किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का किसी भी प्रकार से अवसर नहीं दिया गया है। इसलिये निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में न्यायालय तहसीलदार कि0रेनवाल की पत्रावली संख्या 5/2017 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

अपील के सबंध में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी स्कूल संचालक है जिसने ग्राम भोजपुर कलां में खसरा नंबर 471 के खातेदार द्वारा निर्मित भवन में स्कूल का संचालन कर रहा हैजिसका खसरा नंबर 470 की भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है ना ही उक्त स्कूल खसरा नंबर 470 की भूमि जो कि रास्ते की बताई गई उस पर संचालित नहीं की जा रही है। पटवारी रिपोर्ट गलत है क्योंकि अपीलार्थी एक किरायेदार है जो कि खसरा नंबर 471 में बने भवन में ही अपनी स्कूल चला रहा है। जिसका फसल से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उक्त अपीलार्थी कोई काश्त करता है और ना ही उसने रास्ते की भूमि में कोई काश्त बोई है। पटवारी हल्का ने भोजपुरा कलां में जो खसरा नंबर 470 गै0मु0 रासते की भूमि में 6 बिस्वा पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताते हुए रिपोर्ट पेश की है उसके संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पटवारी द्वारा रिपोर्ट किये जाने के उपरान्त ही विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत है।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातएंव मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की है। मूल पत्रावली के अवलोकन हमने पाया कि अपीलार्थी का विवादग्रस्त अतिक्रमित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त हो, यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया गया हो। प्रकरण तहसीलदार किशनगढ रैनवाल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के संबधं में पुनः जांच कर, मौका रिपोर्ट तैयार नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर